न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 41 / 2016

1 मूलसिंह पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर हॉल निवासी ग्राम रलावता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रीमती सावित्री पत्नी राधाकिशन।
2 अशोक कुमार पुत्र राधाकिशन।
3 अंकित कुमार पुत्र राधाकिशन समस्त जाति मीणा निवासीगण माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर।
4 सरपंच ग्राम पंचायत माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर।
6 तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर।
7 भरतसिंह पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर हॉल आबाद जीवन नगर सांवली रोड़ सीकर।
8 भंवर कंवर पत्नी भूरदान जाति चारण निवासी माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर हॉल निवासी ग्राम रलावता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद सीकर
प्रकरण अनुवानी सावित्री आदि बनाम मूलसिंह आदि
मुकदमा नम्बर 433 / 2014 दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती
रिकार्ड अपील अ.धारा 223 रा.टि. एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 433/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 1.16 हैक्टेर किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर तन ग्राम माण्डोता पटवार हल्का माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर स्थित है के सम्बन्ध में वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त उनके पूर्वज बाल्या उर्फ बालू पुत्र लादू मीना के समय से ही चला आ रहा है व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड गलत रूप से अंकित हो गया, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को न तो इस गांव में आवास निवास करते देखा और न ही इसके बारे में कभी सुना है, विवादित आराजीयात में वादीगण के एडवर्श पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुकी है, उक्त आशय का वाद दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत किए जाने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर प्रथम दिनांक 29.12.2014 कांट छांट कर पेशी निर्धारित की, तथा दिनांक 29.12.2014 सम्मनो पर वादीगण ने तामील कुनिन्दा व सरपंच ग्राम पंचायत माण्डोता से साज कर वस्तुस्थिति के विपरित सर्वथा आधारहीन व वास्तविकता के विपरित रिपोर्ट कर दी, कि प्रतिवादीगण के नाम के कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं है जबकि अपीलांट/

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी ग्राम के मूल निवासी है व उसी ग्राम पंचायत ने प्रतिवादीगण के पिता व पति भूरदान पुत्र श्रीदान की मृत्यु पर विवादित आराजीयात व खसरा नम्बर 1069 ग्राम माण्डोता का बाद जांच विरासत का नामान्तकरण संख्या 1570 दिनांक 20.07.2011 ग्राम पंचायत की मीटिंग में स्वीकृत कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हक में सही रूप से स्वीकृत किया है व उसी ग्राम पंचायत के वर्तमान संरपच जो वादीगण से साज किये हुए है उसने इन नामो के व्यक्ति ग्राम में ही नही होना प्रतिवादीगण के सम्मन पर तामीली रिपोर्ट मिली भगत से करवा दी व योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त साजसी प्रकिया को देखे बिना व प्रथम पेशी पर ही प्रतिवादीगण का सही पता व रजिस्टर्डड तामील प्रस्तुत करवाये बिना ही जरिये अखबार तामील करवाये जाने की आज्ञा पारित कर दी, अखबार की तामील कानूनन तामील के सभी विकल्प खत्म हो जाने पर आज्ञा दी जाने योग्य होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तामीली प्रावधानों को देखे बिना ही प्रतिवादीगण विधिवत तामील करवाये बिना व वादीगण द्वारा तथाकथित पूर्वज बाल्या उर्फ बालू की वंशावली देखे बिना व बिना कोई वारिस प्रमाण पत्र के ही व तथाकथित बालू के अन्य कोई वारिस है या नहीं किसी प्रकार की जांच किए ही आधारहीन कथनों पर व मौखिक साक्ष्य मात्र के आधार पर वादीगण का वाद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से कतई साबित न होते हुए तथा ग्राम पंचायत पक्षकार होते हुए उसे दो माह का नोटिस दिये बिना वाद चलने योग्य न होते हुए भी विरूद्व कानून अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015 के डिक्री कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा तामील के सन्दर्भ में आदेश 5 नियम 17 के प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है विचारण न्यायालय में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में अपीलांट का अन्यत्र जाना बताया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार सही पते प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर पुन साधारण नोटिस भेजे बिना, रजिस्टर नोटिस भेजे बिना सीधे ही अखबार में तामील के आदेश किये है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.01.2015 को अखबार में साया करवाया गया है एवं दिनांक 09.02.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित है क्योंकि अखबार में तामील साया करवाने के पश्चात एक माह का समय दिये जाने का प्रावधान है विचारण न्यायालय ने इसकी पालना नही की है। राजस्व रिकार्ड निरन्तर अपीलांट के नाम रहा है। दिनांक 20.07.2011 को अपीलांट के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है दिनांक 22.05.1990 को भी नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट इसी गांव के निवासी है। गिरदावरी के अंकन के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। वाद दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस नही दिया गया है। अपील 5–6 दिन की सामान्य देरी से पेश की है। जानकारी से अन्दर मियाद है न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. राजस्थान 1998 पेज 221 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर है विलम्ब का समुचित कारण अंकित नही किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा यह है कि काश्त करने वाल व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। सहवन से राजस्व रिकार्ड में काश्त करने वालों के नाम दर्ज नही हुये है। प्रथम सैटलमेंट के समय से रेस्पोडेंट के नाम गिरदावरी व लगान की रसीदे है। अपीलांट के पास ऐसा कोई रिकार्ड नही है। संरपच ग्राम पंचायत द्वारा तामील की पुस्त पर अंकन किया गया कि इस नाम का व्यक्ति कभी गांव में नही देखा इस रिपोर्ट पर अखबार में साया करवाया गया। मौके पर हमारे मकान है, टयूबवैल, विधुत कनेक्शन है प्रतिकुल कब्जा साबित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा तामील के सन्दर्भ में आदेश 5 नियम 17 के प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है विचारण न्यायालय में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में अपीलांट का अन्यत्र जाना बताया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार सही पते प्राप्त कर पुन साधारण नोटिस भेजे बिना, रजिस्टर नोटिस भेजे बिना सीधे ही अखबार में तामील के आदेश किये है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.01.2015 को अखबार में साया करवाया गया है एवं दिनांक 09.02.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित है क्योंकि अखबार में तामील साया करवाने के पश्चात एक माह का समय दिये जाने का प्रावधान है विचारण न्यायालय ने इसकी पालना नही की है। दिनांक 20.07.2011 को अपीलांट के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है दिनांक 22.05.1990 को भी नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट इसी गांव के निवासी है।

प्रकरण में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 18 की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सज्जवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर